

## कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: एफ.( )2021-22/इकोलोजी/विकास/प्रमुवसं/ 9295

दिनांक: 06.10.23

### कार्यालय आदेश

निदेशालय पर्यटन विभाग, जयपुर के पत्रांक एफ.2(2)/लेखा/A&F /2023-24/7389 दिनांक 21.07.2023 (प्रति संलग्न) द्वारा लक्ष्मणगढ, सीकर में इकोलॉजी पार्क के विकास कार्य हेतु जारी प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति संख्या-02/2023-24 के क्रम में उप वन संरक्षक, वन विभाग, सीकर को राशि रूपये 144.67 लाख के आहरण एवं वितरण आ. कार देने की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की गई है।

| स्वीकृति संख्या | लेखा शीर्ष               | राशि लाखों में |
|-----------------|--------------------------|----------------|
| 02/2023-24      | 5452-80-800-(01)-(00)-17 | 144.67         |

अतः उप वन संरक्षक, सीकर को उक्त लेखा मद में वांछित सीमा तक उपरोक्तानुसार कार्य हेतु वर्ष 2023-24 हेतु राशि रूपये 144.67 लाख के लिए आहरण वितरण अधिकारी के अधिकार निम्न शर्तों के अधीन प्रदत्त की जाते हैं:-

1. राशि का उपयोग में तत्संबंधी वित्तीय नियमों एवं निर्धारित प्रक्रिया की पूर्ण पालना सुनिश्चित की जावेगी।
2. स्वीकृत प्रावधान की सीमा में ही व्यय किया जाना सुनिश्चित किया जावेगा।
3. उक्त राशि के अंकमिलान का दायित्व अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, खण्ड-फतेहपुर, सीकर का होगा

संलग्न:-उपरोक्तानुसार।

(एम.के.गर्ग)

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख)  
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: एफ.( )2021-22/इकोलोजी/विकास/प्रमुवसं/ 9296-9305 दिनांक: 06.10.2023

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वन विभाग, राजस्थान, जयपुर
2. अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, खण्ड-फतेहपुर, सीकर
3. निदेशक, वित्त(बजट)विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर
4. संयुक्त शासन सचिव, वित्त(व्यय'3)विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर
5. वित्तीय सलाहकार, वन विभाग, राजस्थान, जयपुर
6. कोषाधिकारी, कोष कार्यालय, सीकर
7. प्रभारी अंकमिलान (लेखा शाखा)/संकलन शाखा (सांख्यिकी अनुभाग)/कम्प्यूटर शाखा (वेबसाइट पर अपलोड हेतु)/रक्षी पत्रावली

(एम.के.गर्ग)

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख)  
राजस्थान, जयपुर

राजस्थान सरकार  
निदेशालय पर्यटन विभाग

पर्यटन भवन संजय मार्ग, विधायकपुरी पुलिस थाने के सामने, जयपुर

क्रमांक : एफ.2(2)/लेखा/A&F/2023-24/ 7389

दिनांक : 31/7/23

प्रधान मुख्य वन संरक्षक,  
वन विभाग जयपुर,

विषय : पूल बजट व्यवस्था के अन्तर्गत बजट हस्तान्तरित करने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत पर्यटन विभाग द्वारा जारी प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति संख्या- 02/2023-24 के द्वारा उप वन संरक्षक, वन विभाग, सीकर को राशि रुपये 144.67 लाख के आहरण एवं वितरण अधिकार देने की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की गई है।

(राशि लाख रु. में)

| क्र.सं. | स्वीकृति संख्या | स्वीकृत कार्य   | बजट मद                   | राशि   |
|---------|-----------------|---|--------------------------|--------|
| 1       | 02/2023-24      | लक्ष्मणगढ, सीकर में इकोलॉजी पार्क के विकास कार्य हेतु | 5452-80-800-(01)-(00)-17 | 144.67 |
|         |                 |   | योग                      | 144.67 |

उक्त स्वीकृति एवं वित्त विभाग द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 29.03.2022 एवं दिनांक 16.05.2022 के क्रम में वित्तीय वर्ष 2023-24 में उपर्यक्तानुसार बजट हस्तान्तरित किया जाता है।

RTPP ACT 2012 & RTPP Rules 2013 तथा सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों की पालना करते हुए तथा नियम 3 के अन्तर्गत उपापन समिति का गठन कर समिति की अनुशंषानुसार व्यय किया जावे। व्यय करने से पूर्व सक्षम स्वीकृति प्राप्त की जावे एवं विभाग द्वारा बजट उपयोग के सम्बन्ध में जारी किए गए दिशा निर्देशों/विभागीय आदेशों की पूर्ण पालना सुनिश्चित की जावे तथा प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति में दिये गये निर्देशों की पालना सुनिश्चित कर की गई पालना से विभाग को अवगत करवाया जाना सुनिश्चित करें।

भवदीया  
मुख्य लेखाधिकारी

क्रमांक : एफ.2(2)/लेखा/A&F/2023-24/

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, पर्यटन विभाग जयपुर।
2. महालेखाकार (लेखा एवं हक/लेखा परीक्षा-प्रथम) राजस्थान जयपुर।
3. संयुक्त शासन सचिव, पर्यटन/वित्त बजट/वित्त (व्यय-4) विभाग, जयपुर।
4. संयुक्त निदेशक, विकास मुख्यालय।
5. उप वन संरक्षक, वन विभाग, सीकर।
6. सहायक निदेशक, पर्यटक स्वागत केन्द्र सीकर।

दिनांक :

मुख्य लेखाधिकारी